

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

२०१५

पत्रांक : 129 / प्र० ३० (भवन) / जौन-१ / शमन / २०१२-१३ दिनांक: ०३/०६/२०१५

विनियमितीकरण-पत्र

यह विनियमितीकरण उ०प्र० ० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा ३२ के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर नर्सिंग होम को विनियमित किया जा रहा है इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिक्यत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

डा० बीना सिंह पत्नी डा० डी० आर० सिंह द्वारा प्लाट न०-२बी दर्खंगा कैसल कालोनी, पन्ना लाल रोड इलाहाबाद जौन संख्या (१) के अन्तर्गत दाखिल नर्सिंग होम “राज नर्सिंग होम” के विनियमितीकरण मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक १५-०५-२०१५ के द्वारा निर्मांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

१. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ए (१) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि २००८ में उपविधि संख्या-२.१.८ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले ‘पूर्णता प्रमाण-पत्र’ प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
३. स्थल पर ४X३ फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।
४. स्थल पर ०६ अद्द वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हसा-भरा रखने का दायित्व आवेदिका का होगा।
५. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से करनी होगी।
६. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
७. मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अनिवार्य रूप से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एवं हैण्डलिंग रूल्स १९९८ अथवा अन्य प्रभावी नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा समय-समय पर नवीनीकरण भी कराया जाय।
८. नर्सिंग होम में संक्रामक रोग का इलाज निषिद्ध होगा, इस हेतु दिये गये शपथ पत्र दिनांक २९.०४.२०१५ का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।
९. मुख्य अन्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-एफपी/सीएफओ/आई-३/२०१४ दिनांक १६.०६.२०१४ में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा तथा निर्धारित समयावधि अनुसार नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा। (छायाप्रति संलग्न)
१०. मानचित्र में दर्शित अशमनीय भाग को स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर स्वतः ध्वस्त कराना होगा। इस हेतु दिये गये शपथ पत्र दिनांक २९.०४.२०१५ का अनुपालन बाध्यकारी होगा।

11. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा। नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के क्रम में यदि कोई धनराशि आरोपित की जाती है अथवा प्रतिबन्ध आरोपित की जायेगी तो उसका भुगतान आवेदिका को करना होगा।
12. पुलिस अधीक्षक—यातायात इलाहाबाद की अनापत्ति स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर प्राप्त कराया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि मानचित्र में वर्णित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ियों की पार्किंग की जाय तथा सिक्युरिटी/गार्ड के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाय कि आगन्तुकों की गाड़ियों सड़क पर न खड़ी हो।
13. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निरस्तारित किया जा सकता है।
14. यदि आवेदिका द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उम्प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
15. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्वतः अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
16. इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रॉल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

(गुडाकेश शर्मा)
संसचिव/प्रभारी अधिकारी (त०स०-१)

